आयुक्तालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ.7(4) ऑनलाईन / आकाशि / अकाद / 2019–20 / 1784 दिनांकः 04.06.2020

for website 1,2&3 Kindly upload 20/06/2020

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
(विधि, राजस्थान संगीत संस्थान, राजस्थान स्कूल ऑफ ऑर्ट्स के अतिरिक्त)
राजस्थान।

विषयः–सत्र 2020–21 में समस्त राजकीय महाविद्यालयों में ऑन लाईन प्रवेश प्रकिया के सम्बन्ध में।
संदर्भः– पूर्व पत्र कमांक एफ.7(4) ऑनलाईन / आकाशि / अकाद / 2019–20 / 1782 दिनांक 28.5.2020

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय व स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) के ऑनलाईन प्रवेश नवीनीकरण कार्यकम निम्न सारणी अनुसार रहेगा।

क.सं.	महाविद्यालय	कार्य का विवरण	समयावधि
1.	समस्त राजकीय महाविद्यालय	स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) के लिए प्रवेश नवीनीकरण	15.06.2020 से 30.06.2020
2.	सत्र 2019–20 में खोले गये 38 नवीन राजकीय महाविद्यालय	सत्र 2019–20 में प्रवेशित स्नातक पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों का डाटा ऑनलाईन प्रवेश मॉड्यूल में अद्यतन करना तथा सत्र 2020–21 में स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के लिए मास्टर एन्ट्रीज पूर्ण करना।	05.06.2020 से 20.06.2020 तक
3.	समस्त राजकीय महाविद्यालय	स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) में अध्यापन कार्य आरम्भ	01.07.2020 (यह तिथि राज्य सरकार के आदेश के अनुसार लागू होगी।)

बिन्दु सं0 2 के अन्तर्गत सत्र 2019–20 में खोले गये 38 नवीन महाविद्यालय में ऑनलाईन प्रवेश एवं प्रवेश नवीनीकरण हेतु निर्देश :–

(अ) नवीन महाविद्यालयों में सत्र 2019–20 में स्नातक पार्ट प्रथम में ऑफलाईन प्रवेश दिया गया था। इन महाविद्यालयों में स्नातक पार्ट द्वितीय मे पूर्णतया अस्थाई प्रवेश नवीनीकरण के लिए स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेशित विद्यार्थियों का डाटा निर्धारित प्रकिया के माध्यम से ऑनलाईन प्रवेश मॉड्यूल में इन्द्राज करना होगा। इसके लिए यूजर मेन्युअल महाविद्यालय के ईमेल पर प्रेषित कर दिया है।

(ब) सत्र 2020–21 में इन नवीन महाविद्यालयों में स्नातक पार्ट प्रथम में ऑनलाईन प्रवेश होंगे, जिसके लिए स्नातक पार्ट प्रथम से सम्बन्धित मास्टर्स की एन्ट्री ऑनलाईन प्रवेश मॉड्यूल में करनी आवश्यक है। यह प्रकिया बिन्दु (अ) के पूर्व सम्पन्न करनी आवश्यक है। यह प्रकिया भी यूजर मेन्युअल में स्पष्ट कर दी गई है।

उक्त नवीन महाविद्यालयों के लिए ई–मित्र पर जमा की गई फीस उनके सम्बन्धित नोडल राजकीय महाविद्यालय के ऑनलाईन बैंक खातों में निर्धारित प्रकियानुसार हस्तान्तरित की जायेगी इसलिए ये नवीन महाविद्यालय स्प्रेडशीटAdmission 2020-21 के सम्बन्धित कॉलम में अपने नोडल राजकीय महाविद्यालय का ऑनलाईन बैंक खाते की सूचना प्राप्त कर भरे। साथ ही सम्बन्धित नोडल राजकीय महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन राजकीय महाविद्यालयों को इस सम्बन्ध में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे तथा प्रवेशित छात्रों के दुर्घटना बीमा से सम्बन्धित बीमा प्रीमियम व अप्रवेशित छात्रों की फीस लौटाने सम्बन्धी प्रकिया में त्वरित कार्यवाही करने के लिए पूर्ण समन्वय व सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार बिन्दु सं0 1 के अन्तर्गत उक्त नवीन महाविद्यालय सहित समस्त महाविद्यालयों को स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) के लिए पूर्णतया अस्थाई प्रवेश नवीनीकरण प्रकिया पूर्ण करनी होगी जिसके अन्तर्गत समस्त स्नातक पार्ट प्रथम, द्वितीय तथा स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) के प्रवेशित विद्यार्थियों को बिना परीक्षा / परीक्षा परिणाम का इंतजार किये अगली कक्षा में कमोन्नत करने की ऑनलाईन प्रकिया पूर्ण करनी होगी तथा इस प्रकिया को महाविद्यालय स्तर से पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थियों का डाटा गत वर्ष की भांति ई–मित्र पर पोस्ट किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को ई–मित्र के माध्यम से फीस जमा कराने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

समस्त प्राचार्य व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करें कि सभी छात्रों का डाटा निर्धारित तिथि तक आवश्यक ऑनलाईन प्रकिया पूर्ण कर ई–मित्र पर पोस्ट हो जाये तथा विद्यार्थियों को ई–मित्र पर फीस जमा कराने के सम्बन्ध में समाचार पत्रों के माध्यम से / इलेक्ट्रोनिक मीडिया / सोशल मीडिया यथा वाट्सएप आदि के माध्यम से प्रसारित –प्रचारित करते हुए अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

विद्यार्थियों का दुर्घटना बीमा का प्रीमियम विद्यार्थी के प्रवेश हेतु फीस जमा कराने के तुरन्त बाद आवश्यक कार्यवाही करते हुए जमा करवाना सुनिश्चित करें जिससे कि प्रवेशित विद्यार्थियों का बीमा कवर अतिशीघ्र प्रारम्भ हो जाये।

ऑनलाईन प्रवेश प्रकिया के कियान्वयन में होने वाली सम्भावित शंकाओं के सम्बन्ध में आयुक्तालय के डा. पंकज माथुर (9414336126) (नोडल अधिकारी–ऑनलाईन एडमिशन) / श्री संदीप कुमार (9829066259) / श्री बनफूल अग्रवाल (0141–2706106) से कार्यालय समय में दूरभाष नम्बर या ई मेल dce.oap@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। यह अति महत्वपूर्ण व समयबद्ध प्रकिया है। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हये समय–सारणी अनुसार प्रकिया सम्पन्न करावें। समस्त प्रकिया में राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 महामारी के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों की पूर्णतयः पालना सुनिश्चित करें।

(प्रदीप कुमार बोरड IAS)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव एवं आयुक्त सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमती ज्योति लुहाड़िया, अतिरिक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को भेजकर लेख है कि वे समस्त ऑनलाईन प्रवेश प्रकिया सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही एवं ई–मित्र पर फीस जमा करवाने की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
4. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान।
5. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा

(3)

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdbed.cce@gmail.com and jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक:एफ 24(कोविड–19)/बी.एड./आकाशि/2020/190 दिनांक : 22.06.2020

सचिव/प्राचार्य/रजिस्ट्रार,
शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/विश्वविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:– शिक्षा संकाय से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में स्कूल स्थानबद्ध कार्यक्रम (इन्टरशिप) एवं उक्त पाठ्यक्रमों के अन्तिम वर्ष के विद्यार्थियों को छोड़कर शेष विद्यार्थियों को प्रोविजनली क्रमोन्नत करने बाबत।

संदर्भ:– शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग का पत्र क्रमांक 31(1)2015 दिनांक 17.06.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में कोविड–19 महामारी के मद्देनजर शिक्षा संकाय से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों जैसे B.Ed, B.A. B.Ed./ B.Sc. B.Ed. (चार वर्षीय एकीकृत), M.Ed, B.P.Ed.,M.P.Ed., B.Ed.- M.Ed (तीन वर्षीय एकीकृत) पाठ्यक्रम में अध्ययनरत अन्तिम वर्ष के विद्यार्थियों को छोड़कर शेष कक्षाओं के विद्यार्थियों को क्रमशः आगामी कक्षाओं में प्रोविजनली क्रमोन्नत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है साथ ही उक्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत जिन प्रशिक्षणार्थियों का स्कूल स्थानबद्ध कार्यक्रम (इन्टर्नशिप) कोविड–19 महामारी के कारण पूर्ण नहीं हुआ है, उनको नवीन सत्र में विश्वविद्यालय परीक्षाओं के बाद सम्बन्धित स्कूल स्थानबद्ध कार्यक्रम (इन्टर्नशिप) पूर्ण करने की इजाजत इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उनका अन्तिम परीक्षा परिणाम इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र जमा कराने के उपरान्त ही जारी किया जाये। सामान्य पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के आयोजन के पश्चात शिक्षा संकाय के विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं आयोजित की जावे।

भवदीय,

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा,राजस्थान,जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, कार्यालय राज्यमंत्री उच्च शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार) राजस्व, उपनिवेशन, कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास एवं जल उपयोगिता विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव,कार्यालय शासन सचिव,उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,शासन सचिवालय,जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा(ग्रुप–4)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. सयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. समन्वयक पीटीईटी 2020, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर।
6. समन्वयक, M.Ed, B.P.Ed.,M.P.Ed., B.Ed.- M.Ed, 2020 राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. रजिस्ट्रार, सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।
8. राज्य परियोजना निदेशक, रामसा, जयपुर उपरोक्तानुसार इन्टर्नशिप कार्यक्रम आयोजित कराने का श्रम करें।
9. प्रभारी वेबसाईट, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (निजी संस्था)
कॉलेज शिक्षा,राजस्थान,जयपुर।

(2)

आयुक्तालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

कमांक :एफ.7 (4) ऑनलाईन / अकाद / आकशि / 2020 / 959-60 दिनांक : 11.6.2020

समस्त
प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय,
(विधि , राजस्थान संगीत संस्थान, राजस्थान स्कूल ऑफ ऑर्ट्स के अतिरिक्त)
राजस्थान ।

विषय :-सत्र 2019-20 में स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रोवीजनल प्रवेश बाबत।

संदर्भः- इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 7 (4) ऑनलाईन / आकाशि / अकाद / 2019-20 / 1784 दिनांक 04-06-2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा समस्त राजकीय महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश नवीनीकरण कार्यक्रम जारी किया गया था जिसके अन्तर्गत सत्र 2019-20 में स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के अध्ययनरत विद्यार्थियों को पार्ट द्वितीय व तृतीय वर्ष में तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध में प्रोवीजनल प्रवेश देते समय निम्नांकित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करें :-

1. सम्बद्धक विश्वविद्यालय के ऐनरोलमेन्ट नम्बर / रोल नम्बर / विषय / विषय समूह का मिलान करना सुनिश्चित करे।
2. प्रोवीजनल प्रवेशित विद्यार्थियों को ओ0बी0सी0 का सर्टिफिकेट / शपथ -पत्र व सामान्य वर्ग के लिए आय कर नहीं देने वाले विद्यार्थियों से अभिभावक का आय प्रमाण-पत्र सम्बन्धित महाविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
3. प्रोवीजनल प्रवेशित किये गये विद्यार्थियों का शुल्क 30 जून, 2020 तक जमा करवाने के लिए प्राचार्य प्रचार-प्रसार एवं विद्यार्थियों को दूरभाष पर सूचित करना सुनिश्चित करें।
4. प्रोवीजनल प्रवेशित विद्यार्थियों का शुल्क ई-मित्र से महाविद्यालयों को प्राप्त होने पर अविलम्ब बीमा विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. दृष्टव्य है कि प्रवेशित गत वर्ष के नियमित विद्यार्थियों का इस सत्र में प्रवेश अस्थाई है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात ही प्रवेश को अन्तिम माना जायेगा। असफल / अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। प्राचार्य प्रचार-प्रसार द्वारा विद्यार्थियों को सूचित करना सुनिश्चित करें।

(डा0. दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक, अकादमिक

कमांक :एफ.7 (4) ऑनलाईन / अकाद / आकशि / 2020 / दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. वेब प्रभारी अधिकारी ई मेल, आयुक्तालय कॉलज शिक्षा, प्राचार्यो को अपलोड करने हेतु।
2. रक्षित पत्रावली